XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 2847–पीबीआर/12 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-4-15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 82/निग0/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 25–6–12 से असंतुष्ट होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ग्राम ललोई स्थित भूमि सर्वे नं. 47 रकबा 0.115 हैक्टर के सीमांकन हेतु आवेदन दिनांक 5–5–07 को पेश किया । तहसीलदार द्वारा उक्त आवेदन पर प्रकरण दर्ज कर सीमांकन आदेश जारी करने के पश्चात दो सालों तक कोई कार्यवाही नहीं की एवं दिनांक 15–6–09 को नायब तहसीलदार द्वारा सीमांकन आदेश पंचनाम दिनांक 28.5.09 एवं राजस्व निरीक्षक की रिर्पोट दिनांक 13.6.09 के आधार पर आदेश पारित किया जिसमें अनावेदक की लगी भूमि आराजी नं. 46/1 का 4 बिस्वा के लगभग रकबा अनावेदक के खाते में नाप दी जिससे दुखित होकर अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया एवं प्रकरण उन्हें प्रत्यावर्तित किया है । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया अपर कलेक्टर का आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत है । अपर कलेक्टर द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है क्योंकि आदेश पारित किए जाने के दिनांक को अनावेदक हरीसिंह की मुत्यु हो चुकी थी । अपर कलेक्टर ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि मृतक हरीसिंह ने व्यवहार वाद पेश कर भूमि खसरानं.	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	47 रकबा 0.115 हैक्टर का विरोधी आधिपत्य के आधार पर भूमिस्वामी घोषित किए जाने हेतु वाद पेश किया था जो उसकी अनुपस्थिति में दिनांक 26–7–11 को निरस्त किया है । इस प्रकार हरीसिंह द्वारा प्रस्तुत वाद से स्पष्ट है कि उसका भूमि पर अवैध कब्जा है । 4– अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय हैं । 5– आवेदक अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का परिशीलन किया । यह प्रकरण सीमांकन का है । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में अपर कलेक्टर ने प्रकरण की विवेचना करके यह पाया है कि सीमांकन विधिवत नहीं हुआ है । जिस दिन सूचनापत्र जारी किया गया उसी दिन सीमांकन किया गया है, जिसकी कोई फील्ड बुक नहीं बनाई गई सीमांकन प्रतिवेदन एवं पंचनामे में किसकी कितनी भूमि किसके पास निकली है इसका कोई उल्लेख नहीं है इस कारण उन्होंने प्रकरण में हुई सीमांकन कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण मानते हुए प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया है । अपर कलेक्टर का उक्त आदेश अभिलेख पर आधारित होकर न्यायिक परंपरा के अनुसार है उसमें ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है जिस कारण आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप आवश्यक हो । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । सदस्य	

प्रतिलिपि [illegible] 2012

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला विदिशा (म.प्र.)

प्रकरण क्रं. 82/निगरानी/2011-12

1. हरीसिंह पुत्र हिन्दूसिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम ललोई तहसील बासौदा, जिला विदिशा

निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. जीवनसिंह पुत्र गजराजसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ललोई तहसील बासौदा, जिला विदिशा

प्रतिनिगरानीकर्ता

—:: आदेश ::—

(आज दिनांक 25/6/2012 को पारित)

निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बासौदा के प्रकरण क्रमांक 110/अ-12/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 15.06.2009 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस आशय की निगरानी प्रस्तुत की गई कि प्रति रिवीजनकर्ता जीवनसिंह ने एक आवेदन सीमांकन बावत आराजी क्रमांक 47 रकवा 0.115 हे. ग्राम ललोई बावत तहसीलदार के यहां दिनांक 05.05.2007 को प्रस्तुत किया तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर सीमांकन आदेश जारी करने के पश्चात उक्त प्रकरण में दो साल तक यानी 05.05.2007 से 18.05.2009 तक कोई कार्यवाही नही की गई दिनांक 15.06.2009 को नायब तहसीलदार द्वारा सीमांकन आदेश पंचनामा 28.05.2009 एवं राजस्व निरीक्षक रिपोर्ट दिनांक 13.06.2009 के आधार पर आदेश पारित कर दिया जिसमें रिवीजनकर्ता की लगी भूमि आराजी क्रमांक 46/1 का 4 विस्वा के लगभग रकवा भूमि प्रतिरिवीजनकर्ता के खाते में नाप दी जिससे दुखित होकर निगरानीकर्ता द्वारा निगरानीमेमो में निगरानी के आधार अंकित करते हुये निगरानी के साथ म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 का आवेदनपत्र मय शपथ के प्रस्तुत किया ।

उक्त आशय की निगरानी [illegible]